अब्दुल गफूर व अन्य

बनाम

असम राज्य

06 दिसम्बर 2007

(डा॰ अरिजीत पसायत एवं डी. के. जैन, जे.जे.)

भारतीय दण्ड संहिता-धारा 395, 397 और 354-अभियुक्तगण पीडित पक्ष से परिचित-पक्षकारान के मध्य रंजिश-एक साक्षी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य के विपरीत-अपराध के दौरान दी गई टेलीफोनिक सूचना में बदमाशों का अजनबियों के रूप में उल्लेख-विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि-उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-अपील में अभिनिर्धारित पक्षकारान के मध्य आपसी रंजिश की पृष्ठभूमि में दुर्बलताओं को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण दोषमुक्ति के अधिकारी-उच्च न्यायालय का आदेश अनुमानों पर आधारित।

अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप लगाया कि उन्होंने घातक हथियारों से लैस होकर पीडित पक्ष के घर में प्रवेश कर वहां निवासरत सदस्यों पर हमला किया, सोने के आभूषण लूट लिये और दो महिला सदस्यों के साथ बलात्कार किया। घटना घटित होने

के समय परिवार के एक सदस्य ने टेलीफोन पर पुलिस को सूचित किया कि कुछ अजनबी घर में डकैती कर रहे थे और घर के दो सदस्यों पर हमला किया। इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। तीन अभियुक्तगण को मफरूर घोषित किया गया। जिन अभियुक्तगण का विचारण किया गया उन्हें धारा 395 व 397 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में दोषिसिद्ध करार दिया गया। इनमें से दो अभियुक्तगण धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में भी दोषसिद्ध घोषित किये गये। यह दोषसिद्धि पी.डब्ल्यू-1,2,3,5 एवं 8 के साक्ष्य पर आधारित थी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए अपील खारिज की। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित बिन्दुः

1. अपीलार्थीगण दोषमुक्ति के अधिकारी हैं। पक्षकारान के मध्य स्वीकृत आपसी रंजिश की पृष्ठभूमि में दुर्बलताएं अभियोजन पक्ष के अभिकथन को अस्वीकार्य बनाती हैं। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही विश्लेषण नहीं किया और केवल अनुमानों पर कार्यवाही की।

उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि साक्षी पी.डब्ल्यु. 1, 2, 3, 5 व 8 के साक्ष्य की चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्णतः पुष्टि होती है। विशेष रूप से पी.डब्ल्यु.4 की साक्ष्य पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी की साक्ष्य मेडिकल साक्ष्य से पूर्णतः विपरीत है। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष के रूप में दर्ज किया कि एक याचिकाकर्ता मफरूर था। जबकि वास्तव में जांच अधिकारी की साक्ष्य में यह दर्शित होता है कि उसने उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य एवं अपीलार्थी द्वारा पेश विभिन्न प्रस्तुतियों का विश्लेषण किये बिना केवल विचारण न्यायालय के कुछ निष्कर्षों का ही उल्लेख किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के काफी समय बाद दर्ज किया जाना भी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बना देता है जबकि टेलीफोनिक संदेश के पश्चात् कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी।

3. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी की गई जैसे कि डकैती बाबत टेलीफोनिक संदेश किसी अजनबी द्वारा दिया गया हो। जबकि साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि सूचना किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि पी.डब्ल्यु.01 के द्वारा दी गई थी जो कि परिवार का सदस्य था। जो सूचना दी गई थी उसमें यह बताया गया था कि कुछ अजनबियों ने डकैती की। अभियुक्तगण अजनबी नहीं हैं और व्यावहारिक रूप से सूचनाकर्ता और

उसके परिवार के पडोसी थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तगण को रंजिश के कारण मिथ्या आलिप्त करने का कोई आशय नहीं था और ऐसा कोई कारण नहीं था कि क्यों कोई दो युवा लडकियों की गरिमा को बलात्संग के अपराध में दांव पर लगाना चाहेगा। यह उल्लेखनीय है कि बलात्संग का आरोप अवश्य लगाया गया लेकिन विचारण न्यायालय ने बलात्संग के आरोप को साबित माने जाने हेतु कोई तात्विक साक्ष्य नहीं पाया। साक्ष्य पूर्णतः असंगत है और अविश्वसनीय पाया गया है।

(पैरा 9-10, 10324 जी, एच; 1035 ए, बी)

आपराधिक अपीलीय न्याय निर्णय: आपराधिक अपील संख्या 1675/2007

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांक 12.05.2006 की क्रिमिनल अपील नंबर-201/1998 से।

प्रार्थीगण की ओर से श्री एच.एल. अग्रवाल, श्री अजीम एच. लक्षकार, श्री आनन्द एवं श्री अभिजीत सेन गुप्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अविजित राॅय (फाॅर मै0 काॅरपोरेट लाॅ ग्रुप)।

न्यायाधिपति डाॅ0 अरिजीत पसायत

1. अपील हेतु अनुमति।

2. यह अपील अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज किये जाने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

दिनांक 11.04.88 की रात्रि लगभग 06:30 पीएम पर अभियुक्त अब्दुल गफूर, होकोई मियां, नाजिर अली, सैयद अली, लतीफ अली, अकलस मियां, आशु मियां व तबई मियां ने खंजर, दाव, लाठी जैसे घातक हथियारों से लैस होकर ब्रहनन्शाशन गांव में सत्येन्द्रनाथ गुप्ता के घर को घेर लिया और उन पर, उनकी पत्नी हेमा मालिनी गुप्ता, उनके पुत्र सुबेन्दु गुप्ता, उनकी बडी पुत्री अंजली गुप्ता और उनके रिश्तेदार सुशील चन्द्र पर हमला कर उनके गंभीर उपहति कारित की, उन्हें बांध दिया और घर में निवासरत महिला सदस्यों हेमा मालिनी गुप्ता, अंजली गुप्ता, मित्रा गुप्ता, रूबी गुप्ता और नील गुप्ता के कब्जे से सोने के आभूषण जिनमें चेन, कडे व कान की बालियां आदि थे, लूट कर ले गये जिनकी कीमत 42,950/- रूपये थी। इसके अलावा दो अभियुक्त होकोई मियां और अकलस उद्दीन ने क्रमशः मित्रा गुप्ता और रूबी गुप्ता के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गये। घटना घटित होने के समय सत्येन्द्रनाथ गुप्ता के पुत्र सुशील चंद्र गुप्ता ने पुलिस को टेलीफोन पर सूचित किया कि सत्येन्द्रनाथ गुप्ता के घर पर डकैती की

जा रही थी और सत्येन्द्र नाथ गुप्ता और उनकी पत्नी पर डकैतों ने हमला कर गंभीर चोटें कारित की। दिनांक 11.04.88 की रात्रि को नीलम बाजार आउटपोस्ट की जनरल डायरी में क्रमांक-212 पर 08ः15 पीएम पर इस प्रविष्टि को लेखबद्ध किया गया और इस सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई। इसके बाद सत्येन्द्रनाथ गुप्ता ने भी लिखित रिपोर्ट नीलम बाजार आउटपोस्ट के समक्ष पेश की। नीलम बाजार आउटपोस्ट के प्रभारी अधिकारी ने यह लिखित रिपोर्ट करीमगंज थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जिस पर करीमगंज थाना प्रभारी ने धारा 395/397/376 भारतीय दण्ड संहिता में केस दर्ज किया। टी.सी. बेलांग के पुलिस उपनिरीक्षक ने अनुसंधान के पश्चात् आरोप पत्र अभियुक्तगण अब्दुल गफूर, होकोई मियां, बोलोई मियां, सैयद अली, अकलस उद्दीन, नाजिर अली, लतीफ अली, आशु मियां व तबई मियां के विरूद्ध धारा 395 और 397 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में पेश किया।

अभियुक्तगण नाजिर अली, आशु मियां और तबई मियां के विरूद्ध आरोप साबित हुए और वे मफरूर घोषित किये गये। अन्य छः अभियुक्तगण अब्दुल गफूर, होकोई मियां, बोलोई मियां, सैयद अली, अलस उद्दीन और लतीफ अली के विरूद्ध मामला विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, करीमगंज द्वारा सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से 9 साक्षी विचारण के दौरान परीक्षित कराये गये।

5. विचारण न्यायालय ने साक्षी पी.डब्ल्यु.1, 2, 3, 5 और 8 की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त अपीलार्थी संख्या-1, 2, 3, 5 और 6 को अपराध अन्तर्गत धारा 395 सपठित धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी माना और अभियुक्त अपीलार्थी 3 व 5 को अपराध अंतर्गत धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता में दोषी माना। धारा 395 सपठित धारा 397 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में प्रत्येक को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 2,000/- रूपये अर्थदंड से दंडित किया। धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।

6. दोषसिद्ध अभियुक्तगण ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया गया उच्च न्यायालय ने अपील खारिज की और दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

7. अपील के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने अपील का निस्तारण उनके द्वारा पेश विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार किये बिना कर दिया। निष्कर्ष में कई त्रुटियां भी हैं।

8. उत्तरदाता/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायाल के निर्णय का समर्थन किया।

9. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि डकैती के संबंध में टेलीफोनिक संदेश एक अजनबी द्वारा किया गया। जबकि साक्ष्य में यह प्रकट किया गया है कि सूचना किसी अजनबी द्वारा नहीं दी गई बल्कि सुशील चंद्र गुप्ता पी.डब्ल्यु.01 द्वारा दी गई। दी गई जानकारी में यह कहा गया था कि कुछ अजनबियों ने डकैती की।

10. अभियुक्त आरोपीगण अजनबी नहीं थे बल्कि वे परिवादी व उसके परिवार के पड़ोसी थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों को रंजिश के कारण मिथ्या आलिप्त किये जाने का कोई आशय इस प्रकरण में नहीं था और दो युवा लड़कियों की गरिमा को बलात्संग के अपराध के नाम पर दांव पर लगाये जाने का कोई कारण नहीं था। इस प्रकरण में कथित रूप से बलात्संग का आरोप लगाया गया लेकिन विचारण न्यायालय ने पाया कि अभिलेख पर बलात्संग से संबंधित तात्विक साक्ष्य का अभाव है। साक्ष्य में पूर्णतः असंगतता पाई गई है एवं विश्वास का अभाव पाया गया है। उच्च न्यायालय का विवेचन स्पष्टतः अनुमान पर आधारित था एवं तथ्यात्मक परिदृश्य से विपरीत था। उच्च न्यायालय ने कहा कि साक्षी पी.डब्ल्यु.1, 2, 3, 5 और 8 के साक्ष्य की चिकित्सकीय साक्ष्य से पूर्णतः संपुष्टि होती है। यह उल्लेखनीय है कि साक्षी पी.डब्ल्यु.04 की साक्ष्य पर

विचार करने पर यह स्पष्ट है कि इस साक्षी की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य के पूर्णतः विपरीत है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी अब्दुल गफूर के मफरूर होने का निष्कर्ष दिया जबकि अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उसने अब्दुल गफूर को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के दिन गिरफ्तार कर लिया था। दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने साक्ष्य एवं अपीलार्थी द्वारा पेश विभिन्न प्रस्तुतियों का विश्लेषण किये बिना केवल विचारण न्यायालय के कुछ निष्कर्षों का ही उल्लेख किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के काफी समय बाद दर्ज किया जाना भी अभियोजन पक्ष की कहानी को संदिग्ध बना देता है जबकि टेलीफोनिक संदेश के पश्चात् कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी।

11. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत शत्रुता की पृष्ठभूमि में उपरोक्त दुर्बलताएं अभियोजन पक्ष के अभिकथनों को अस्वीकार्य बनाती हैं। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया और उन्होंने केवल अनुमानों पर कार्य किया। ऐसा होने के कारण हम निर्देशित करते हैं कि अपीलार्थीगण दोषमुक्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

12. अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थीगण को आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता ना हो तो उन्हें तुरन्त रिहा किया जावे।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मनीषा सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।